भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1302

12 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री-किसान योजना के अंतर्गत अपात्र किसानों को धनराशि का संवितरण

1302. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

श्री संजय सिंह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में धोखेबाजी के ऐसे कई मामलों के समाचार मिले हैं जहां प्रधानमंत्री-किसान योजना के अंतर्गत केन्द्र ने 20 लाख से अधिक अपात्र किसानों और आयकर का भुगतान करने वाले किसानों को 1,364 करोड़ रूपये का भुगतान किया है जबकि कई अन्य पात्र किसान इससे वंचित रह गए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा, इस घोटाले में शामिल चूककर्ताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अपात्र खातों में अंतरित की गई धनराशि की वसूली करने और इसे वापस उचित लाभार्थियों को अंतरित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): बिहार राज्य सरकार द्वारा गलत लेन-देन की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी गई है। पीएम-किसान योजना के ढांचे में अंतर्निहित रूप से विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लगातार लाभार्थियों के आंकड़ों के सत्यापन और वैधकरण के आधार पर त्रुटियों को निकालने के लिए तंत्र शामिल है। तथापि, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह भी पाया गया कि आयकरदाताओं सहित 32,91,152 अपात्र लाभार्थियों को 2326.88 करोड़ रूपये की राशि अंतरित कर दी गई थी। राज्यों से कुछ ऐसी घटनाओं की सूचना भी मिली है जहां अपात्र लाभार्थियों के आवेदनों को अनुमोदित करने के लिए ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों की साख का दुरूपयोग किया गया है।

(ग): चूंकि, लाभार्थियों का चयन/पहचान केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, संबंधित राज्य सरकारों ने उन लोगों के खिलाफ अपेक्षित सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की है जो इस गलत कार्य में शामिल थे। कर्नाटक राज्य ने सूचित किया है कि राज्य द्वारा 203819 गलत पंजीकरण की पहचान की गई है और तदनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। तमिलनाडु ने सूचित किया है कि गलत गतिविधियों के कारण लगभग 6 लाख पंजीकरण की पहचान अपात्र के रूप में की गई है और इनसे अब तक 158.57 करोड़ रूपये की वसूली की गई है, गुनाहगारों के विरूद्ध 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई है। गुजरात ने सूचित किया है कि गुजरात के दो जिलों में पीएम-किसान योजना के तहत गलत मामले पाए गए हैं और तदनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। गुजरात में, 55 संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रिय कर दी गई हैं।

(घ): भारत सरकार द्वारा धन का दुरूपयोग नहीं किए जाने और वास्तविक किसानों को लाभान्वित करने के लिए योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:-

i. आयकरदाताओं सहित अपात्र लाभार्थियों से पैसा वसूल करने के लिए राज्यों को मानक प्रचालन दिशा-निर्देश जारी और परिचालित किए गए हैं।

ii. राज्य सरकारों को पीएम-किसान लाभार्थियों के वास्तविक सत्यापन के लिए मानक प्रचालन दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं और,

iii. पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के पंजीकरण और सत्यापन के दौरान उपायों को अपनाने के लिए राज्यों को सावधानी परामर्शिका जारी की गई है।

iv. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रत्येक ग्राम पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षा करवाने का निर्देश दिया गया है।

****